

शासकीय आदेश संख्या 941/24-पी-3-2009 लखनऊ, 7 सितम्बर 2009 के आधार पर निरीक्षण शुल्क -

1- जनरेटर्स का निरीक्षण शुल्क -
 25 कैंटी0ए0 और इसे सम्मिलित करके रु 1000.00
 25 कैंटी0ए0 से अधिक 50 कैंटी0ए0 तक रु 2500.00
 50 कैंटी0ए0 से अधिक 100 कैंटी0ए0 तक रु 4000.00

2- ट्रांसफार्मर्स से सम्बन्धित निरीक्षण शुल्क
 50 कैंटी0ए0 तक रु 1500.00
 50 कैंटी0ए0 से अधिक 100 कैंटी0ए0 तक रु 2500.00
 100 कैंटी0ए0 से अधिक 200 कैंटी0ए0 तक रु 4000.00

कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर-प्रदेश शासन, मेरठ जोन, मेरठ
 संख्या- 233 नि0/मे0जो0/लिपट/निरी0, दिनांक- 05.08.2020
 सेवा में,

एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड-मेरठ प्रोजेक्ट,
साइट- सैक्टर-4 बी, शताब्दी नगर, मेरठ।
 विषय:- 08 नं0 लिपट के विद्युत अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण।
 प्रसंग:- आप द्वारा प्रेषित निरीक्षण शुल्क रु. 12,000.00 का चालान सं0- एच 500003, दिनांक 05.08.2020 तथा कार्यपूरक प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र।


प्रिय महोदय,
 आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके उपरोक्त परिसर विभिन्न टावरों पर अधिष्ठापित निम्न विवरण के अनुसार 08 नं0 लिपटों के विद्युतीय अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 05.08.2020 को किया गया।

लिपट का विवरण

क्र0 सं0	मेक	क्षमता	मोटर क्षमता	जॉब नं0	इक्युपमेन्ट नं0	टावर नं0
1	KONE	884 kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3-फेज, 415 वोल्ट	84967	40255070	2
2	KONE	884 kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3-फेज, 415 वोल्ट	84970	40255074	2
3	KONE	884 kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3-फेज, 415 वोल्ट	84980	40255067	3
4	KONE	884 kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3-फेज, 415 वोल्ट	84981	40255068	3
5	KONE	884 kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3-फेज, 415 वोल्ट	84979	40255066	4
6	KONE	884 kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3-फेज, 415 वोल्ट	84976	40255075	4
7	KONE	884 kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3-फेज, 415 वोल्ट	84983	40255201	5
8	KONE	884 kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3-फेज, 415 वोल्ट	84965	40255208	5

निरीक्षण के समय उपरोक्त लिपटों का विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत नियमावली-2005 के सुसंगत नियमों के अनुरूप संतोषजनक अवस्था में पाया गया।

- कृपया यह सुनिश्चित करें कि -**
- लिपटों के विद्युतीय अधिष्ठापन का वार्षिक अनुरक्षण किसी अधिकृत एजेन्सी से कराया जाना सुनिश्चित करें।
 - लिपट एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप लिपटों को मेनटेन रखें तथा निर्धारित समयान्तराल में इस कार्यालय द्वारा लिपट के विद्युतीय अधिष्ठापन का सामयिक निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।
 - सुरक्षा उपायों में इमरजेंसी ब्रेक, यू0पी0एस0 बैक-अप बैटरी, ओवर लोड सेफ्टी डिवाइस, स्पीड कन्ट्रोलर, इमरजेंसी ब्रेक आदि हमेशा कार्यक्षम अवस्था में अनुरक्षित रखें।

भवदीय,

 (अंजनी कुमार श्रीवास्तव)
 सहायक निदेशक
 विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
 मेरठ जोन, मेरठ